

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

शुद्धि पत्र सं.-8/ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-07/2006:-

/राँची, दिनांक:-

शुद्धि पत्र

श्री राघवेन्द्र सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के विरुद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय संकल्प सं. 3145 दिनांक 01.09.2009 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित है।

चूँकि श्री सिंह सेवारत हैं और उक्त संकल्प में भूलवश " पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत " विभागीय कार्यवाही अंकित हो गयी है। इसलिए इसे संशोधित रूप में " सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 55 के तहत" पढ़ा जाय।

संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव(नि.)।

ज्ञापक:-

1671

/राँची, दिनांक:-

18-5-15

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/ श्री राघवेन्द्र सिंह, , कनीय अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव(नि.)।

18-5-15